*फिनटेक और विनियमन**

टी. रबी शंकर

साल का अंत आमतौर पर आत्मनिरीक्षण का समय होता है और 2022 ने स्पष्ट रूप से विचार के लिए बहुत सारे विषय दिए हैं। एक अच्छी बात यह है कि आखिरकार कोविड की भयावहता को मनुष्य पीछे छोड़ता दिख रहा है। शेष मुद्दे इतने उत्साहजनक नहीं हैं। युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव के खौफ ने फिर से सिर उठा लिया है। हमें 1990 के दशक के अंत में बताया गया था कि व्यापार चक्र समाप्त हो चुके हैं और मुद्रास्फीति पर विजय प्राप्त कर ली गई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय संकट के बाद ध्यान अपस्फीति की ओर चला गया। जब 2021 समाप्त हो रहा था, नीति निर्माताओं के बीच आम सहमति थी कि बढ़ती कीमतें एक क्षणिक प्रकरण हैं। यह स्थिति तेजी से बदल गयी क्योंकि मुद्रास्फीति कई दशकों के उच्च स्तर पर पहुंच गई और प्राथमिक स्तर पर व्यापक आर्थिक समस्या के रूप में चर्चा में वापस आ गई। बढ़ती ब्याज दरें, डॉलर के मजबूत होने के कारण विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव और इसके परिणामस्वरूप ऋण बोझ में वृद्धि ने स्थिति को उलट दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रास्फीति अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं की समान रूप से परीक्षा ले रही है।

फिनटेक की बहुत संकीर्ण दुनिया में, जिसका इतिहास लंबा नहीं है, एक कहानी- क्रिप्टोकरेंसी की कहानी, समानांतर में चलती है। 2021 के अंत में यह धारणा बनी कि 'ट्रेडफाई' (पारंपरिक वित्त) धीमा व अक्षम है तथा अनुकूल नहीं है और 'डीफाई' (विकेंद्रीकृत वित्त) और डीएओ अपनी ब्लॉकचेन तकनीक के साथ क्रिप्टोकरेंसी के रूप में आगे का रास्ता है। क्रिप्टो की कीमतें, उसके ही शब्दों में कहें तो, मूनिंग स्थिति में (उंची जा रही) थीं और निवेशक हॉडलिंग (खरीद कर धरे रखना) स्थिति में थे। मई 2022 के बाद से, क्रिप्टो ने अपने मूल्य का दो-तिहाई से अधिक खो दिया है, और पारिस्थितिकी तंत्र टूट रहा है। जिस तकनीक को सरकारों और विनियामकों तथा मध्यस्थों के अंत की घोषणा करने के लिए अभिकल्पित किया गया था, वह विवश होकर विनियमित होने की मांग कर रही है! विज्ञान-कथा लेखक आर्थर क्लार्क ने कहा था, "कोई भी पर्याप्त रूप से उन्नत तकनीक जादू से अप्रभेद्य है। यदि वह क्रिप्टो समर्थकों द्वारा किए गए वादों के अनुसार चलते तो शायद उन्होंने 'वूडू' शब्द का इस्तेमाल किया होता।

लेकिन क्रिप्टो-प्रौद्योगिकी, जिनमें से क्रिप्टोकरेंसी केवल एक उपयोग का मामला था, फिनटेक के व्यापक क्षेत्र का सिर्फ एक घटक है। वित्तीय क्षेत्र अपने पूरे इतिहास में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अनुकूलन प्रक्रिया से गुजरता रहा है। 1980 और 1990 के दशक के दौरान, भारत में बैंक एडवांस्ड लेजर पोस्टिंग मशीनों (एएलपीएम) से लेकर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम तथा उसके बाद टोटल ब्रांच ऑटोमेशन और अंत में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) तक विकसित हुए हैं। जैसे ही इंटरनेट और मोबाइल फोन कनेक्टिविटी में तीव्रता से विकास हुआ, इस यात्रा का एक तार्किक विस्तार इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के रूप में हुआ। अक्टूबर 2022 तक, मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लगभग 33 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के लगभग 7.5 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता थे। डेटा भंडारण और प्रसंस्करण क्षमताओं में क्रांति ने गैर-बैंक संस्थाओं को पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) उधार, क्राउडफंडिंग, वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग, ओपन बैंकिंग आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम बनाया है। भुगतान के क्षेत्र में परिवर्तन विशेष रूप से आश्चर्यजनक रहा है, जिसमें 24 * 7 * 365 आरटीजीएस / एनईएफटी, यूपीआई, डिजिटल प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स, क्यूआर स्कैन एंड पे, भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस), एईपीएस डिजिटल भुगतान के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, एपीआई, बिग डेटा और एआई/एमएल विधियों जैसी नई सूचना प्रौद्योगिकियां यह सुनिश्चित करेंगी कि फिनटेक भविष्य में वित्तीय सेवाओं के वितरण में प्रमुख विषय होगा।

फिनटेक को आम तौर पर एक उद्योग के रूप में वर्णित किया जाता है जो वित्तीय प्रणालियों और वित्तीय सेवाओं के वितरण को अधिक कुशल बनाने के लिए इन तकनीकों का उपयोग करता है। फिनटेक का उदय – ऋण व्यवस्था, ओपन बैंकिंग, भुगतान ऐप जैसे क्षेत्र में - बैंकिंग उद्योग के लिए नव-परिवर्तन का एक प्रमुख स्रोत है। लेकिन इन नए व्यापार स्वरूपों और मौजूदा व्यवसायों के परिवर्तन ने विनियमन के लिए नई चुनौतियां लाई हैं। विनियामकों

---

* 21 दिसंबर, 2022 को मुंबई में बिजनेस स्टैंडर्ड शिखर सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री टी. रबी शंकर द्वारा दिया गया भाषण। फिनटेक विभाग के मुख्य महाप्रबंधक श्री शुभेंदु पति, विनियमन विभाग के महाप्रबंधक श्री चंदन कुमार और भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के महाप्रबंधक श्री के विजय कुमार के इनपुट को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया जाता है।

को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बैंकों के लिए निर्धारित विनियामकीय परिधि से बाहर स्थित गैर-बैंक संस्थाएं बैंकों की भूमिका को कम न करें, जिससे कि वित्तीय स्थिरता की चिंता बढ़ जाए। साथ ही, इन दक्षता-प्रेरित नई प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से, पूंजी पर्याप्तता, लिवरेज, चलनिधि या केवाईसी, एएमएल/ सीएफटी जैसी वित्तीय समेकन आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बैंकों के इकाई आधारित विनियमन को फिनटेक संस्थाओं के अस्तितव के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है जो समान विनियामक आवश्यकताओं के अधीन नहीं हैं। 'समान गतिविधि समान विनियमन' के मूल विषय के साथ गतिविधि आधारित विनियमन की अवधारणा ने स्वीकार्यता प्राप्त की है। मूल बिंदु यह है कि बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी इकाई को बैंकों के समान विनियमन के अधीन होना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था जहां गैर-बैंक फिनटेक का विनियमन समान सेवाओं की पेशकश करने वाले बैंकों (या उनकी सहायक कंपनियों) के विनियमन के साथ संरेखित नहीं है, वह विनियामकीय मध्यस्थता से जुड़ी अक्षमता और जोखिम पैदा करेगी। इसके साथ ही, यदि व्यापक आबादी को डिजिटलीकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है, तो साइबर अपराधों और धोखाधड़ी जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़े नए जोखिमों को भी ध्यान में लेने की आवश्यकता है।

रिज़र्व बैंक में हम इन चुनौतियों से कैसे निपटना चाहते हैं? रिज़र्व बैंक दोहरी भूमिका निभाता है - वित्तीय प्रणाली के विकासकर्ता के साथ-साथ एक विनियामक के रूप में । इसका विनियमन कार्य तीन सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहले नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा, नवाचार को वित्तीय प्रणाली में गैर-विघटनकारी तरीके से आत्मसात किया जाना चाहिए और तीसरा, डिजिटलीकरण मार्ग के हर कदम पर ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

नवाचार को प्रोत्साहित करना

भुगतान क्षेत्र में रिज़र्व बैंक ने जो भूमिका निभाई है उसकी सराहना हुई है। आरटीजीएस, एनईएफटी, सीटीएस की शुरुआत स्वयं प्रयासों से की गई है। आरटीजीएस और एनईएफटी को 24×7 तक विस्तारित करने से वित्तीय बाजारों के विकास और अंतर्राष्ट्रीयकरण की गुंजाइश खुल गई है। उपयुक्त संस्थाओं की स्थापना करना भारतीय रिजर्व बैंक का एक अन्य महत्वपूर्ण कदम रहा है। 1996 में स्थापित और विशेष रूप से बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर केंद्रित आईडीआरबीटी ने इनफिनेट, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच आदि के निर्माण के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में प्रौद्योगिकी अपनाने के प्रारंभिक चरण का नेतृत्व किया है। 2008 में स्थापित एनपीसीआई अपने यूपीआई, रुपे कार्ड, एईपीएस, बीबीपीएस और कई अन्य प्रणालियों के साथ भारत में खुदरा भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण में अग्रणी रहा है, जिसने भारत को खुदरा भुगतान नवाचारों में अग्रणी देश के रूप में स्थापित किया है। रिज़र्व बैंक ने 2016 में ही अकाउंट एग्रीगेटर पर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस पारिस्थितिकी तंत्र में जो विकास देखा जा रहा है, उससे यह कहा जा सकता है कि अकाउंट एग्रीगेटर वित्तीय सेवा खंड में नवाचार के अगले पड़ाव को लाने के लिए तैयार हैं। पी2पी विनियम 2017 में आए थे जब यह क्षेत्र भारत में अपेक्षाकृत बाल्यावस्था में था। नियंत्रित वातावरण में अभिनव वित्तीय उत्पादों या सेवाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 2019 में एक विनियामकीय सैंडबॉक्स ढांचा बनाया गया। रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों, प्रौद्योगिकी उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग के लिए विचारों के आदान-प्रदान और वित्तीय नवाचारों से संबंधित प्रोटोटाइप के विकास के लिए की गई थी। रिज़र्व बैंक और उसके द्वारा बनायी गई संस्थाएं फिनटेक और स्टार्ट-अप क्षेत्र को नवाचारों को प्रदर्शित करने हेतु एक माध्यम प्रदान करने के लिए हैकाथॉन जैसे नियमित प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

गैर-परिवर्तनकारी नवाचार

कोई भी विनियामक इस उम्मीद में, कि बाजार अंततः अपने स्वयं के संतुलन तक पहुंच सकता है, नवाचार को वित्तीय प्रणाली को बाधित करने की अनुमति नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, हम वित्तीय संस्थानों पर डीईएफआई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग का जोखिम नहीं उठा सकते, जब तक कि यह पता न हो कि बैंक-रहित प्रणाली कैसे काम करेगी। अस्वीकार्य वित्तीय स्थिरता जोखिमों के अलावा, यह किसी विनियामक के लिए अपनी अप्रासंगिकता की दिशा में काम करने के बराबर होगा। यह आवश्यक है कि विनियामक नई तकनीक को आत्मसात करने के तरीके और गति को नियंत्रित करे। इस बात पर स्पष्टता के बिना कि क्या विकल्प व्यवहार्य भी है, वांछनीय तो दूर की बात है, किसी परिवर्तनकारी तकनीक को अनुमति देना एक जोखिम भरे जुए के समान होगा। नई तकनीक को सुचारू रूप से आत्मसात

करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व एक समान अवसर सुनिश्चित करना है। यदि क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए बैंकिंग (या समान) लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो एक गैर-लाइसेंस प्राप्त इकाई को उन्हें पेश करने की अनुमति देना बैंकिंग प्रणाली को कमजोर करने के बराबर होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बराबरी की नहीं हो पाएगी। इसी तरह, डिजिटल भुगतान अनिवार्य रूप से इस अर्थ में एक बैंकिंग सेवा है जिसमें एक जमा खाते से दूसरे में धन की आवाजाही शामिल है। जमा खाता होना एक आवश्यकता है, प्रौद्योगिकी केवल एक साधन है; जमा खातों का उपयोग प्रौद्योगिकी के बिना भी भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसक विपरीत संभव नहीं है। किसी गैर-बैंक को बैंक जमा को अंतरित करने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग करने की सुविधा गैर-बैंक के लिए प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाने के बराबर होगी। यह तर्क दिया जा सकता है कि गैर-बैंक वॉलेट के रूप में जमा को बनाए रखते हुए बैंक जमा के उपयोग से बच सकते हैं। ऐसे में गैर-बैंक जमा लेने वाली संस्थाएं कहलाएंगी, अर्थात, वे प्रभावी रूप से बैंक होंगी जिन्हें बैंकिंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। एक कम परिवर्तनकारी किंतु अधिक कुशल तंत्र बैंकों को नई तकनीक का उपयोग संयुक्त रूप से (या अधिग्रहण) करने की सुविधा प्रदान करेगा। बैंक नई तकनीक का उपयोग आउटसोर्स करके या आंतरिक तौर पर आत्मसात करके भी कर सकते हैं। क्या यह नवाचार को हतोत्साहित करेगा? ऐसी संभावना नहीं है, अगर गैर-बैंक प्रौद्योगिकी का उपयोग सही ढंग से किया जाए।

अब विनियामकीय मध्यस्थता के प्रमुख मुद्दे की बात आती है। यदि हम समान प्रकार की गतिविधियों के लिए अलग-अलग नियमों के कारण होने वाली अक्षमताओं से बचना चाहते हैं, तो किसी बैंकिंग कार्य में लगे गैर-बैंक को बैंक की तरह लाइसेंस और विनियमित करने की आवश्यकता होगी। लाइसेंस के बिना उसे बैंकिंग गतिविधियों को करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, रिज़र्व बैंक ने हाल ही में यह स्पष्ट किया कि पीपीआई को ऋण राशि लेकर वित्त पोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे उस संस्था को लाइसेंस के बिना लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय करने की अनुमति प्राप्त होती है। उस विनियमन ने स्पष्ट रूप से 'समान गतिविधि के लिए समान विनियमन' के सिद्धांत को स्थापित किया।

सामान्य रूप से कहें तो, नवाचारों को यदि बाजार के उचित निर्धारित मूल्य पर छोड़ दिया जाए और विनियमन में स्थिरता को बनाए रखा जाए तो नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और नई तकनीक को गैर-बाधित रूप से आत्मसात किया जा सकेगा।

ग्राहक सुरक्षा

अनुभव ने हमें सिखाया है कि विनियमन के अभाव में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए बाजार की ताकतें अनुपयुक्त हैं। चाहे वह व्युत्पन्नी बाजार हो या *लिबोर* व्यवस्था, अविनियमित बाजार अंततः ऐसे परिणामों को जन्म देते हैं जो ग्राहकों के लिए अपर्याप्त होते हैं। भुगतान डेटा के भंडारण पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के भुगतान डेटा को सुरक्षित करना है। क्रिप्टोकरेंसी पर आरबीआई की चेतावनियां और उसका सार्वजनिक रुख जितना नीतिगत व्यवस्था द्वारा निर्देशित था, उतना ही अनभिज्ञ निवेशकों को डूबने से बचाने का था। आरबीआई शायद पहला केंद्रीय बैंक था जिसने खुले तौर पर भारत में क्रिप्टोकरेंसी के पूर्ण प्रतिबंध का की बात की थी। अब यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है कि पूर्ण प्रतिबंध एक योग्य नीतिगत विकल्प है। यह एक अलग संभावना है कि वैश्विक स्तर पर नियामकों के अस्पष्ट या अस्पष्ट रुख ने हाल के वर्षों में क्रिप्टो उत्पादों में मांग और मूल्य निर्धारण में वृद्धि के लिए योगदान दिया है। आरबीआई की सावधानी ने शायद भारत में नुकसान को नियंत्रित कर लिया है।

भुगतान क्षेत्र में, भारत उन कुछ देशों में से एक है जो द्वि-कारक अधिप्रमाणन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करता है। हालांकि अब इसे एक अभिनव विनियमन के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन लगभग एक दशक पहले जब आरबीआई ने इसे प्रस्तुत किया था, तब इसकी आलोचना हुई थी। इसी तरह, कार्ड के उपयोग पर बेहतर ग्राहक नियंत्रण, लेनदेन विफलताओं के लिए कम टर्नअराउंड अवधि, टोकनाइजेशन जैसे हालिया उपाय ग्राहक की रक्षा के उद्देश्य से की गई पहल हैं।

डिजिटल उधार ऐप्स का विनियमन जिम्मेदार प्रथाओं और ग्राहक सुरक्षा के उद्देश्य से विनियमन का एक और उदाहरण है। वित्तीय समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण नवाचार और पारंपरिक वित्तीय प्रणाली तक कम पहुंच रखने वाली संस्थाओं को ऋण प्रदान करने वाली इन ऐप्स ने अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं, अपारदर्शी ब्याज दरों और अनैतिक वसूली प्रथाओं जैसे व्यावसायिक आचरण के समस्याओं को जन्म दिया। बैंकों और एनबीएफसी के कुल ऋण पोर्टफोलियो के प्रतिशत के रूप में, वित्त वर्ष 2017 में डिजिटल ऋण का हिस्सा क्रमशः 0.31 प्रतिशत[1] और 0.55 प्रतिशत रहा है। हालांकि अभी भी यह बहुत कम है,

लेकिन इसकी पूर्ण क्षमता को जिम्मेदार तरीके से प्राप्त किये जाने की आवश्यकता है। आरबीआई ने इससे पहले जून, 2020 में बैंकों और एनबीएफसी को उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन करने की सूचना दी थी। इस संबंध में उभरती चिंताओं को देखते हुए, सितंबर, 2022 में व्यापक निर्देश जारी किए गए थे। इन विनियमों में पारदर्शी ऋण और मूल्य निर्धारण मानदंड और ग्राहकों के साथ व्यवहार करने में निष्पक्षता के साथ उन इकाइयों को निर्दिष्ट किया गया था जिन्हें उधार देने की अनुमति दी गई थी।

इस संदर्भ में, एक अप्रत्याशित नियामकीय चुनौती यह रही है कि कोई इसे अनुपालन-विमुखता के रूप में चिह्नित कर सकता है। पारंपरिक रूप से विनियमन के अधीन वित्तीय संस्थाएं समझती हैं कि विनियमन प्रणालीगत स्थिरता और विकास के बड़े उद्देश्य को पूरा करता है। वित्तीय स्थान के बाहर की संस्थाएं अभी भी एक विनियमित वातावरण के अनुकूल होना सीख रही हैं। नतीजतन, विनियमन के लिए उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया आपत्ति है। विडंबना यह है कि इस तरह की आपत्ति को सही ठहराने के लिए जो बहाना बनाया जाता है, यहां तक कि उद्योग निकायों द्वारा भी, आमतौर पर ग्राहकों की असुविधा है। आवर्ती भुगतान के लिए निर्धारित मानदंडों को ग्राहकों के लिए असुविधाजनक बताते हुए आलोचना की गई थी। आवर्ती भुगतान के लिए निर्धारित मानदंडों को ग्राहकों के लिए असुविधाजनक बताते हुए आलोचना की गई थी, जबकि सर्वेक्षण[2] में यह पता नहीं चला कि 80 प्रतिशत से अधिक ग्राहकों ने इस कदम का स्वागत किया। हालांकि कुछ हद तक, इसी तरह का विरोध कभी-कभी विनियमित संस्थाओं द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है जैसा कि बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा खुदरा[3] प्लेटफॉर्म से दूर रहने में देखा जा सकता है जो विदेशी मुद्रा के खुदरा खरीददारों / विक्रेताओं के लिए कीमत में काफी सुधार करेगा। विनियामकीय परिवर्तन के लिए आरबीआई का दृष्टिकोण नियमों को धैर्यपूर्वक सुविधा प्रदान करना है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

[1] ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से उधार सहित डिजिटल उधार पर कार्य समूह पर आरबीआई की रिपोर्ट 18 नवंबर, 2021 को जारी की गई

[2] https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/more-than-80-indians-support-rbi-move-to-stop-auto-debit-localcircles-survey/articleshow/87314836.cms

[3] खुदरा प्रतिभागियों के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार मंच की स्थापना पर आरबीआई का 20 जून, 2019 का परिपत्र - एफएक्स-रिटेल (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11597&Mode=0)

वैश्विक समन्वय

फिनटेक को विनियमित करने के लिए एक अनूठी चुनौती वैश्विक समन्वय की आवश्यकता है। चूंकि ये सेवाएं ऑनलाइन हैं, और क्रिप्टोकरेंसी के मामले में वे राष्ट्रीय सीमाओं के पार फैली हुई हैं, इसलिए प्रभावी विनियमन के लिए वैश्विक समन्वय की आवश्यकता होगी। चूंकि प्रौद्योगिकी अपनी प्रकृति से नियमों की तुलना में तेजी से विकसित होती है, इसलिए विनियामक आमतौर पर पीछे रह जाएंगे। इसके प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि इसमें शामिल जोखिमों और विनियमन की प्रकृति के बारे में एक वैश्विक आम समझ कायम हो। विभिन्न देशों के लिए इस तरह की प्रौद्योगिकी के अलग-अलग प्रभाव से यह मुद्दा और जटिल हो गया है। उदाहरण के लिए, स्टेबलकॉइन उस देश के लिए उतना खतरा पैदा नहीं करेगा जिसकी मुद्रा का उपयोग संदर्भ के रूप में किया जाता है, जैसा कि यह अन्य देशों के लिए होगा। तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जोखिमों पर आम समझ विकसित करना एक बड़ी चुनौती बने रहने की संभावना है।

नवाचारों का अंतरराष्ट्रीयकरण

आरबीआई की विकासात्मक भूमिका ने उसे न केवल कई प्रौद्योगिकी पहल करने के लिए प्रेरित किया है, बल्कि इसने भारत के प्रमुख नवाचारों की वैश्विक पहुंच का विस्तार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। भारतीय भुगतान प्रणालियों का अंतरराष्ट्रीयकरण भारतीय रिज़र्व बैंक का एक नीतिगत उद्देश्य है। सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और भूटान में व्यापारिक स्थानों पर यूपीआई के माध्यम से क्यूआर कोड आधारित भुगतान को सफलतापूर्वक सक्षम करने के बाद, आरबीआई सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ सहयोग कर रहा है ताकि दोनों देशों के लोग आपस में तत्काल और लागत प्रभावी तरीके से प्रेषण कर सकें। इसके अतिरिक्त, हमने नेपाल के लिए यूपीआई जैसी प्रणाली लागू करने की अनुमति दी है। यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान, व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान और यूपीआई जैसी प्रणाली विकसित करने के लिए कई देशों के साथ बातचीत चल रही है।

निजी क्रिप्टोकरेंसी के लिए अधिक कुशल विकल्प प्रदान करने के लिए, आरबीआई ने सीबीडीसी (डिजिटल रुपया) प्रस्तुत करने की यात्रा शुरू की है। उम्मीद है कि यह मौजूदा भुगतान उत्पादों के साथ एक और प्रभावशाली विकल्प के रूप में काम करेगा। डिजिटल रुपया सीमित या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्थानों में लेनदेन की सुविधा प्रदान कर सकता है और

इसलिए, वित्तीय समावेशन को भी आगे बढ़ाएगा। आगे इसका उपयोग विशिष्ट प्रोग्राम की सुविधा का उपयोग करके सरकारी छूट और लाभों के वितरण के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जिससे धन का लक्षित या निर्दिष्ट उपयोग होगा। सीबीडीसी के विभिन्न लाभों में, शायद सबसे महत्वपूर्ण सीमा पार भुगतान को तेज और सस्ता बनाने की क्षमता है। यहां फिर से, एक आवश्यक पूर्व निर्धारित शर्त यह है कि अन्य देश अपनी स्वयं की सीबीडी मुद्राएं विकसित करें और सीबीडीसी को इंटरऑपरेबल बनाने (मूल रूप से विभिन्न सीबीडीसी प्रणालियों को जोड़कर) और प्रभावी इंटरफेसिंग के लिए मानकों को विकसित करने की आवश्यकता पर एक वैश्विक समझ बनाएं।

निष्कर्ष

विनियामक के साथ-साथ एक केंद्रीय बैंक होने के नाते, आरबीआई का विनियमन राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ-साथ उपयोगकर्ता की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होने पर ध्यान केंद्रित करता है। फिनटेक के क्षेत्र में, नवाचार को प्रोत्साहित करने और दोहन करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना हमारे विनियामकीय दृष्टिकोण का एक प्रमुख संवाहक रहा है। वैश्विक वित्तीय बाजारों और फिनटेक क्रांति के इस युग में, आरबीआई का जनादेश संप्रभुता की रक्षा करना और सार्वजनिक हित को सुनिश्चित करना है। हमारे प्रयासों का उद्देश्य विनियमन को परामर्शी और सहयोगी बनाना है, और नीतिगत स्वतंत्रता को बनाए रखना है।